न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 361 सन 2021
अनवान :–

1. मनोहरलाल पुत्र बन्ताराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विधादेवी पुत्री बन्ताराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सरलादेवी पुत्री बन्ताराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 273/251 की कुल 11.8110हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , खाता संख्या 378/352 की कुल 32.2110हैक्ट में से 1/100 हिस्सा , व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्ट में से 1/300 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम एवं पिता बन्ताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की बहने है एवं बन्ताराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की बहने है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम पिता बन्ताराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा वडविराना के खाता संख्या 273/251 की कुल 11.8110हैक्ट में से 1/20 हिस्सा, खाता संख्या 378/352 की कुल 32.2110हैक्ट में से 1/100 हिस्सा, व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्ट में से 1/300 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द गणपतराम एवं पिता वन्ताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की बहने है एवं वन्ताराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्वध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वडविराना के खाता संख्या 273/251 की कुल 11.8110हैक्ट में से 1/20 हिस्सा, खाता संख्या 378/352 की कुल 32.2110हैक्ट में से 1/100 हिस्सा, व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्ट में से 1/300 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम सें दर्ज है।

जमावन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि चन्दुराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के चन्दुराम पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज चन्दुदास वल्द गणतपराम एवं वादी के पिता वन्ताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 273/251 की कुल 11.8110हैक्ट में से 1/20 हिस्सा, खाता संख्या 378/352 की कुल 32.2110हैक्ट में से 1/100 हिस्सा, व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्ट में से 1/300 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सें दर्ज है तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है वादी के नाम पूर्व में दर्ज हिस्से के साथ शामिल किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/-- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनगुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मनोहरलाल पुत्र बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 विधादेवी पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. सरलादेवी पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 361 सन 2021 निर्णय दिनांक– 06/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 273/251 की कुल 11.8110हैक्टे में से 1/20 हिस्सा, खाता संख्या 378/352 की कुल 32.2110हैक्टे में से 1/100 हिस्सा, व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्टे में से 1/300 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम सें दर्ज है तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी के नाम पूर्व में दर्ज हिस्से के साथ शामिल किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर